लखुराम बनाम रामफूल वगैरह
उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जयपुर
केस नं. 92/2023

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा वो कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	22/2/24	पत्रावली पेश हुई. आपत्तकर्ता साथ द्वारा एडवोकेट/कार्य का बहिष्कार करने से कार्यवाही पुनर्मुकरर दिनांक 5/3/24 को पेश हो
	04/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 11/3/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
	11/03/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्षों की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट पर सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध प्रार्थीगणों का प्रा. पत्र/जवाब की प्रति तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील उभय पक्षों की बहस को मनन किया गया। अवलोकन करने व बहस को मनन करने पर प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट को स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल मिसल किया गया। — निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली नतीजा अनुसार होकर रजिस्टर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

Y/2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
92 / 2023	25 / 05 / 2023	11 / 03 / 2024

– उनवान –

1. लल्लूराम पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी रामजीपुरा तह0 आंधी।
2. विनोद पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी रामजीपुरा तह0 आंधी।
3. राजेन्द्र पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी रामजीपुरा तह0 आंधी।
4. जगदीश पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी रामजीपुरा तह0 आंधी।
5. हजारी पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी रामजीपुरा तह0 आंधी।
6. मूल्या पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी रामजीपुरा तह0 आंधी।
7. पिरता देवी पत्नि बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी रामजीपुरा तह0 आंधी।

<u>प्रार्थीगण</u>

बनाम

1. रामफूल पुत्र नानगा मीणा निवासी रामजीपुरा तहसील आंधी।
2. भगवान सहाय पुत्र नानगा मीणा निवासी रामजीपुरा तहसील आंधी।
3. श्रामराज पुत्र नानगा मीणा निवासी रामजीपुरा तहसील आंधी।
4. गीता देवी पुत्री नानगा मीणा निवासी रामजीपुरा तहसील आंधी।
5. मूली देवी पुत्री नानगा मीणा निवासी रामजीपुरा तहसील आंधी।
6. रामोती देवी पुत्री नानगा मीणा निवासी रामजीपुरा तहसील आंधी।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आंधी, तहसील आंधी जिला जयपुर।

<u>अप्रार्थीगण</u>

<u>उपस्थित अभिभाषक</u>

श्री रामकरण शर्मा :– वकील प्रार्थीगण।
श्री सत्यनारायण माहेश्वरी :– वकील अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6

<u>प्रार्थनापत्र बाबत् पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट</u>

–: निर्णय :–

प्रार्थीगणों ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण इस कथन के साथ पेश किया कि प्रार्थीगण की तन्हा खातेदारी भूमियां वाके ग्राम रामजीपुरा पटवार हल्का डांगरवाडा तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 636 रकबा 2.7060 है0, खसरा नम्बर 637 रकबा 0.9990 है0 है जो कि प्रार्थीगण की संयुक्त तन्हा खातेदारी की कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त तन्हा खातेदारी भूमि है तथा जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। जिससे अप्रार्थीगण का कोई संबंध नही है। अप्रार्थीगण का मद संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से कोई संबंध सरोकार नही है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार है जिनकी खातेदारी भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 646 / 2 प्रार्थी की भूमि के लगवा स्थित है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की भूमि की सीमायें आपस में मिली है तथा अप्रार्थीगण जबरन तनाजा रखकर प्रार्थीगण की संयुक्त तन्हा खातेदारी भूमि में दखल देते है और प्रार्थी की सीमा मेंडों के पुख्ता निशानों को मिटाकर पुख्ता अतिक्रमण करने पर आमादा रहते है जो आये दिना सीमाओं को विवाद रखते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के लिये अपनी संयुक्त तन्हा खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना आवश्यक हुआ जिसके लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त भूमि को तहसीलदार आंधी से

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

सीमाज्ञान दिनांक 10.05.2023 को करवाया गया तथा प्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है। इसलिये प्रार्थीगण के लिये खसरा नम्बर 636, 637 की पुख्ता पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है। अतः उक्त वर्णित विवादग्रस्त आराजियात भूमि के चारों तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल सीमाज्ञान पत्थरगढी मय पुलिस जाप्ता के साथ टीम गठित कर पत्थरगढी के आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 6 की ओर से अभिभाषक श्री सत्यनारायण माहेश्वरी उपस्थित आयें तथा वकालतनामा प्रस्तुत किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। दिनांक 10.08.2023 को वकील अप्रार्थीगण ने अपना जवाब पेश किया। जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आंशिक रूप से स्वीकार है जिसमें खसरा नम्बर 636, 637 ग्राम रामजीपुरा में होना स्वीकार है। लेकिन उक्त भूमियां संयुक्त तन्हा खातेदारी होना स्वीकार नही है क्योंकि खसरा नम्बर 637 केवल प्रार्थी संख्या 4 जगदीश की एकल खातेदारी है इस प्रकार प्रार्थीगण ने न्यायालय को गुमराह कर अवैध रूप से सभी की खातेदारी बताते हुये प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। उक्त सीमाज्ञान प्रार्थीगण ने इ.टी.एस मशीन से करवाया है। जिसमे तहसीलदार आंधी की कोई उपस्थिति नही है तथा ना ही हम अप्रार्थीगण को व अन्य लगवा खातेदारों को कोई सूचना नही दी गई जिस कारण उक्त सीमाज्ञान अवैध है तथा उक्त सीमाज्ञान के आधार पर लाया गया पत्थरगढी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। **आपत्ति** : प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे केवल हम अप्रार्थीगण को पडोसी खातेदार के आधार पर पक्षकार बनाया है जबकि प्रार्थीगण की भूमि के पडोसी खातेदार अन्य और भी है जिनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 639, 633 भी है। जिनको प्रार्थीगण ने पक्षकार नही बनाया है जिस कारण प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र अवैध होने के कारण खारिज किया जावें। साथ ही प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 637 को अपनी संयुक्त खातेदारी बताई है जो कि गलत है क्योंकि उक्त खातेदारी केवल प्रार्थी संख्यया 4 जगदीश की है। जिसको अलग से प्रार्थना पत्र पत्थरगढी हेतु पेश करना था।

पैरोकार सरकार (तहसीलदार आंधी) ने अपने पत्रांक /आरटी/2023/745 दिनांक 29.08.23 द्वारा रिपोर्ट/जवाब पेश किया। जिसमें निवेदन किया कि ग्राम रामजीपुरा पटवार हल्का डांगरवाडा तहसील आंधी में स्थित खसरा नम्बर 636, रकबा 0.9990 है0 जो कि प्रार्थीगण लल्लूराम, विनोद, राजेन्द्र पि0 सत्यनारायण, जगदीश, हजारी, मूल्या पि0 बृजमोहन, पिस्ता देवी पत्नी बृजमोहन जाति ब्राहमण वगै0 के दर्ज रिकार्ड खातेदारी है। बिन्दू संख्या 01 में वर्णित भूमि प्रार्थीगणों की संयुक्त खातेदारी भूमि है एवं जिस पर प्रार्थीगण कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगणों के पडौसी खातेदार है जिनके खसरा नम्बर 646/2 रकबा 2.7945 है0 है। प्रार्थना पत्र मे दर्ज खसरा नम्बर 636 व 637 ग्राम रामजीपुरा का दिनांक 10.05.2023 को सीमाज्ञान हो चुका है। अतः मौके पर विवाद की आंशका को देखते हुए राजस्व टीम गठित कर मय पुलिस जाप्ता ही पत्थरगढी की कार्यवाही की जानी संभव है।

बहस वकील प्रार्थीगण व वकील अप्रार्थीगण को सुनी गई। वकील उभय पक्ष की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगणों के प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, आंधी को आदेशित दिया जाता है कि ग्राम रामजीपुरा पटवार हल्का डांगरवाडा तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 636 रकबा 2.7060 है0, खसरा नम्बर 637 रकबा 0.9990 है0 में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगणों एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 11/03/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
(ललित मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ